न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पौड़ी गढ़वाल।

आपराधिक वाद संख्या 845 सन् 2022

अनिल सिंह बनाम विनोद कुमार बहुगुणा।

<u>दिनांक 19.01.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। परिवादी की हाजिरी माफी कागज सं0 58ब विद्वान अधिवक्ता श्रीमती रश्मि रावत द्वारा प्रस्तुत। सुना। न्यायहित में आज के लिए स्वीकृत। अभियुक्त की हाजिरी माफी कागज सं0 60ब विद्वान अधिवक्ता श्रीमती ममता द्वारा प्रस्तुत। सुना। न्यायहित में आज के लिए स्वीकृत।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि हस्तगत वाद को मध्यस्थता की कार्यवाही हेतु मध्यस्थता केन्द्र पौडी गढ़वाल को निर्दिष्ट किया गया था। आज मध्यस्थ श्री राजकुमार बत्रा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र कागज सं0 59ब इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते की संभावना को देखते हुए समय प्रदान किया जाये। हस्तगत वाद के तथ्यों एवं मध्यस्थ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दर्शित कारणों के आलोक में न्यायहित में अगली नियत तिथि तक मध्यस्थता की कार्यवाही के लिए समय प्रदान किया जाता है।

पत्रावली वास्ते मध्यस्थता केन्द्र पौड़ी गढ़वाल की आख्या/अग्रिम आदेश दिनांक 16.02.2024 को पेश हो।

(प्रतीक मथेला)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पौड़ी

पौड़ी गढ़वाल।